



हैदराबाद में 2 सितंबर, 2021 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित
प्राधिकरण की 114वीं बैठक के कार्यवृत्त

MINUTES OF THE 114th MEETING OF THE AUTHORITY
held on 2nd September, 2021 at 3:00 PM at Hyderabad

उपस्थित/Present:

पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member
अंशकालिक सदस्य/Part-time Member

श्रीमती टीएल अलमेलु/Smt. T L Alamelu
श्री के. गणेश /Shri K Ganesh
श्री प्रमोद कुमार अरोडा/Shri Parmod Kumar Arora
श्रीमती एस.एन. राजेश्वरी /Smt. S N Rajeswari
श्री अमित अग्रवाल (वी सी के माध्यम से)
/Shri Amit Agrawal (through VC)
श्री निहार एन. जांबुसरिया (वी सी के माध्यम से)
/Shri Nihar N Jambusaria (through VC)

अंशकालिक सदस्य/Part-time Member

भी उपस्थित/Also, present:

पदनामित अधिकारी/Designated Officer

श्रीमती जे. मीना कुमारी/Smt. J Meena Kumari

श्रीमती टी.एल अलमेलु ने उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने प्राधिकरण के विचार-विमर्श में पूर्व अंश कालिक सदस्य श्रीमती सुषमा नाथ के मूल्यवान योगदान को रिकॉर्ड किया।

Smt. T L Alamelu extended a warm welcome to the Members present. She placed on record the valuable contributions made to the deliberations of the Authority by Smt. Sushama Nath, former Part-time Member.

यह सुनिश्चित करने के बाद कि आवश्यक कोरम उपलब्ध है, सुश्री टीएल अलमेलु ने विचार-विमर्श आरंभ किया।

After ascertaining that the requisite quorum was available, Ms. T L Alamelu started the deliberations.

कार्यसूची की मदों पर विचार आरंभ किया गया।

The agenda items were then taken up for consideration.

4.1 जून से 31 जुलाई, 2021 तक सदस्यों द्वारा की गयी विदेश यात्राओं का विवरण

4. Statement of Foreign Tours Undertaken by Members from 1st June to 31st July, 2021

प्राधिकरण द्वारा विवरण नोट किया गया।

The statement was noted by the Authority.

हैदराबाद में 2 दिसंबर, 2021 को आयोजित प्राधिकरण की 114वीं बैठक के कार्यवृत्त

7. परिपत्र संकल्प के माध्यम से बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) का पुनर्गठन।

7. Reconstitution of Insurance Advisory Committee (IAC) through Circular Resolution

7.1 यह निवेदन किया गया कि आईएसी के पुनर्गठन के संबंध में एक कार्यसूची नोट; उसमें किये गये प्रस्ताव पर अनुमोदन माँगते हुये परिचालित किया गया था। प्राधिकरण के सभी सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया था और पुनर्गठित आईएसी 7 अगस्त, 2021 को अधिसूचित किया गया था।

7.1 It was submitted that an agenda note on reconstitution of the IAC was circulated seeking approval of the proposal made therein. All Members of the Authority had approved the said proposal and the reconstituted IAC was notified on 7th August, 2021 in the Official Gazette.

7.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची मद को नोट किया।

7.2 The Authority noted the agenda item.

8. नया शीर्षक बीमा उत्पाद

8. New Title Insurance Products

8.1 नये शीर्षक बीमा उत्पादों और प्रमोटर कानूनी व्यय (रक्षा लागत) पालिसी और आबंटिती/व्यक्तिगत क्रेता खुदरा पालिसी की शब्दावली के संबंध में, सभी साधारण बीमाकर्ताओं को, उन्हें फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करते हुये एक परिपत्र जारी करने का प्रस्ताव किया गया। बीमाकर्ता, नमूना पालिसी शब्दावली में विनिर्दिष्ट न्यूनतम कवरेज को ध्यान में रखते हुये बीमाकर्ता समरूप उत्पाद डिजाइन और फाइल भी कर सकते हैं।

8.1 It was proposed to issue a circular on New Title Insurance products and policy wordings of promoter legal expenses (defense cost) policy and allottee / individual buyer retail policy, encouraging all general insurers to file them. The insurers can also design and file similar products, keeping in view the minimum coverage specified in the specimen policy wordings.

8.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची मद को मंजूरी प्रदान की।

8.2 The Authority approved the agenda item.

9. साइबरदेयता बीमा के लिए उत्पाद संरचना के संबंध में परिपत्र (मार्गदर्शन दस्तावेज)

9. Circular (Guidance Document) on product structure for Cyber Liability Insurance

9.1 यह निवेदन किया गया कि देश और दुनिया में साइबर आक्रमण और डेटा उल्लंघनों की बढ़ती घटनाओं के कारण साधारण बीमाकर्ताओं को एक परिपत्र और बीमाकर्ताओं को व्यक्तिगत साइबर बीमा कवर के लिए एक मॉडल पालिसी शब्दावली और वाणिज्यिक साइबर बीमा पालिसियों के सामान्य संदर्भ ढाँचे के संबंध में एक परिपत्र (मार्गदर्शन दस्तावेज) जारी करने का प्रस्ताव किया गया था।

9.1 It was submitted that on account of rising incidents of cyberattack and growing number of data breaches in the country and around the world, it was proposed to issue a circular to general insurers and provide to the insurers a model policy wording for personal cyber insurance cover and a circular (guidance document) on common reference framework to commercial cyber insurance policies.

9.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची मद के अनुसार एक परिपत्र और मार्गदर्शन दस्तावेज जारी करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

9.2 The Authority approved to issue a circular and guidance document as per the agenda item.

10. व्यापार ऋण बीमा दिशा-निर्देश 2021।

10. Trade Credit Insurance Guidelines 2021

10.1 यह निवेदन किया गया कि व्यापार ऋण बीमा कारोबार के सतत और स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने और आपूर्तिकर्ताओं के साथ ही साथ लाइसेंस प्राप्त बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम का प्रबंधन करने, नये बाजार तलाशने तथा व्यापार वित्त पोर्टफोलियो से जुड़े भुगतान प्राप्त न कर सकने के जोखिम का प्रबंध करने में व्यवसायियों को व्यापार बीमा कवर की पेशकश करने में साधारण बीमा कंपनियों की सुविधा के लिये 'व्यापार ऋण बीमा दिशा-निर्देश 2021' जारी किया जाय ।

10.1 It was submitted to issue Trade Credit Insurance Guidelines, 2021 to promote sustainable and healthy development of trade credit insurance business and to facilitate general insurance companies to offer trade credit insurance covers to suppliers as well as licensed banks and other financial institutions to help businesses manage country risk, open up access to new markets and to manage non-payment risk associated with trade financing portfolio.

10.2 प्राधिकरण ने 'व्यापार ऋण बीमा दिशा-निर्देश, 2021' जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

10.2 The Authority approved to issue Trade Credit Insurance Guidelines, 2021.

11. प्रारूप आईआरडीएआई (जमानत बीमा अनुबंध) दिशा-निर्देश

11. Draft IRDAI (Surety Insurance Contracts) Guidelines

11.1 यह प्रस्ताव किया गया कि प्रारूप आईआरडीएआई (जमानत बीमा अनुबंध) दिशा-निर्देश विभिन्न हितधारकों की राय जानने के लिये आईआरडीएआई के वेबसाइट पर रखा जाय। दिशा निर्देश के लक्ष्य भारत में सतत और स्वस्थ विकास जमानत बीमा व्यापार को प्रोत्साहित और विनियमित करना थे।

11.1 It was proposed to place the draft IRDAI (Surety Insurance Contracts) Guidelines on the IRDAI's website to seek comments of various stakeholders. The objectives of the guidelines were to promote and regulate sustainable and healthy development Surety Insurance Business in India.

11.2 प्राधिकरण ने प्रारूप आईआरडीएआई (जमानत बीमा अनुबंध) दिशा-निर्देश के संबंध में राय माँगने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

11.2 The Authority approved to seek comments on the draft IRDAI (Surety Insurance Contracts) Guidelines.

15. बीमाकर्ताओं द्वारा अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की पेशकश

15. Offering short term Health Insurance Policies by Insurers

15.1 प्राधिकरण ने अपनी 108वीं बैठक में अध्यक्ष, आईआरडीएआई को जनहित में अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पालिसियाँ पेश करने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया। जारी कोविड-

19 महामारी और भारत में संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सभी बीमाकर्ताओं को 31 मार्च, 2022 तक अल्पकालिक कोविड-19 विशिष्ट पालिसियाँ जारी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया।

15.1 The Authority in 108th meeting authorized Chairman IRDAI to issue suitable guidelines in public interest to offer short term health insurance policies. In view of on-going Covid-19 pandemic and possible third wave in India, it was proposed to permit all the insurers to offer short term Covid-19 specific policies up to 31st March, 2022.

15.2 उचित विचार-विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण ने कार्यसूची मद को स्वीकृति दी।

15.2 After due deliberation, the Authority approved the agenda item.

22. विनियामक सुविधाएँ/रियायतें

22. Regulatory facilitations/relaxations

22.1 यह निवेदन किया गया कि उपरोक्त कार्यसूची मद पर, अनुसमर्थन हेतु 28 जून, 2021 को आयोजित प्राधिकरण की 113^{वीं} बैठक में विचार किया गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह सलाह दी गयी कि उपरोक्त छूट को संभव बनाने के लिए वर्तमान विनियमों के प्रावधानों की जाँच की जाए और उसको प्राधिकरण की अगली बैठक में रखा जाए। इस संबंध में, जीवन विभाग ने मामले की जाँच की और विधि विभाग से सलाह-मशवरा किया।

22.1 It was submitted that the above agenda item was taken up in the 113th Authority meeting held on 28th June, 2021 for ratification. After deliberations, it was advised to examine provisions in the existing regulations for enabling above relaxations and put up the same in the next Authority meeting. In this regard, the Life Dept examined the matter and consulted the Legal dept.

22.2 यह सूचित किया गया कि प्राधिकरण के पास उक्त विनियामक सरलीकरण/छूट का अनुमोदन करने की शक्तियाँ हैं।

22.2 It was informed that the Authority has the powers to approve the said regulatory facilitations / relaxations.

22.3 प्राधिकरण ने दी गयी सुविधाओं/छूट का अनुसमर्थन किया और देश के विभिन्न भागों में चल रही महामारी के मद्देनजर 31 मार्च, 2022 तक विनियम सुविधाएँ/छूट को स्वीकृति प्रदान की।

22.3 The Authority ratified the regulatory facilitations/relaxations given and approved the three regulatory facilitations/relaxations up to 31st March 2022, in view of ongoing pandemic in various parts of the country.

25. आईआईबी विनियम, 2021 के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन

25. In-Principle Approval for IIB Regulations, 2021

25.1 आईआरडीएआई (भारतीय बीमा सूचना कार्यालय) विनियम, 2021 का प्रारूप तैयार करने और जनता से राय माँगने के लिए प्राधिकरण का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन माँगा गया।

25.1 In-principle approval of the Authority was sought to draft and seek public comments on the IRDAI (Insurance information Bureau of India) Regulations 2021.

25.2 उचित विचार-विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण ने कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

25.2 After due deliberations, the Authority approved the agenda item.

अध्यक्ष/Chairperson